दुर्गासिंह बनाम मेघसिंह 63/2020

पक्षकार/पक्षकारान के वकीलगण।

23/11/20

पीठासीन अधिकारी जी निरीक्षण पर/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 05.01.21 को पेश करें।

05/01/21 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। मिसल मय अर्जी दिनांक 12-10-20 को आवश्यक से 03.03.21 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

03/03/2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे पाया कि वास्ते अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत पेश किया गया है, जबकि मूल वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ है। चूंकि प्रकरण हाजा प्रकरण दिनांक 25.10.2019 से लम्बित है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या संख्या 1 से 5 के विरूद्ध विवादग्रस्त खसरा नं. 603 मौजा रोहिणा की भूमि में प्रार्थी के हिस्से या सम्पूर्ण खसरे का बैचान हस्तान्तरण, रहन आदि नहीं करने बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा मूल वाद में इकबालिया जवाब पेश किया है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र में अब अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का का औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र हाजा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner